

पुलिस अधिका - उक्त मामलों के किण्वों से व्यक्ति
का स्मरण है कि उक्त व्यक्ति के अन्तर्गत उक्त व्यक्ति
का जिनसे जानकारी प्राप्त होती है। अभियुक्त होगा
एवं पुलिस की अधिका में होना किमान
आवश्यक है, किन्तु वह किमान किसे वह
व्यक्ति सम्बन्धित है। व्यक्ति उक्त किण्व
की पुष्टि नहीं करता। उदाहरण के लिए
यदि "क" उदाहरण के लक्षण कोई
सद्व्यक्ति माना है उससे प्राप्त जानकारी
के आधार पर किसी नरक का पता चलता
है, तो वह कर्ता कि उक्त प्राप्त जानकारी
इसलिए प्राप्त नहीं होगी कि पुलिस की
की अधिका में नहीं था। इस बात के आधार पर
किमान के अन्तर्गत नहीं होगी। इसी
जानकारी की आधार के आधार पर देना कि
किमान के आधार पर सम्बन्धित उदाहरण
आवश्यक है।

सम्बन्धित अधियुक्त और अधिका उक्त
उसकी स्मरण होती है। कोई अधियुक्त
पकड़ा जाता है तो उसे पुलिस अधिका से
जहाँ किसी अन्य स्वतंत्र या जहाँ जाता
व्यक्ति उक्त के अधिका - 27 के अधिका अन्य
अधियुक्तों की अधिका होने की बात
होती है तो उक्त अधियुक्त के आधार
को. धारा पर अन्य धारा अधिका
अन्य अधियुक्त को अधिका किना
आवश्यक है।